

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) टिब्बी, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

10न0 - 365 / 2025

नवान : -

1. राजाराम पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी मल्लड़खेड़ा त0 टिब्बी जिला जिला हनुमानगढ़ ।
2. सुरेन्द्र कुमार पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी मल्लड़खेड़ा त0 टिब्बी जिला हनुमानगढ़ ।

वादीगण

बनाम्


1. सोहनलाल पुत्र रामूराम जाति जाट निवासी मल्लड़खेड़ा त0 टिब्बी जिला हनुमानगढ़ ।
2. काशीराम पुत्र रामूराम जाति जाट निवासी मल्लड़खेड़ा त0 टिब्बी जिला हनुमानगढ़ ।
3. औमप्रकाश पुत्र रामूराम जाति जाट निवासी मल्लड़खेड़ा त0 टिब्बी जिला हनुमानगढ़ ।
4. धापा पुत्री रामूराम पत्नी रामलाल जाति जाट निवासी मनीवाली त0 सादूलशहर जिला श्रीगंगानगर ।
5. चन्दो पुत्री रामूराम पत्नी साहबराम जाति जाट निवासी खाराखेड़ा त0 टिब्बी ।
6. अमीलाल पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी मल्लड़खेड़ा त0 टिब्बी ।
7. अनुसुईया पुत्री मनीराम पत्नी बलवंत जाति जाट निवासी छापांवाली त0 सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर ।
8. शकुन्तला पुत्री मनीराम पत्नी दलीप जाति जाट निवासी छापांवाली त0 सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर ।

प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी टिब्बी के समक्ष अधिवक्ता वादी सुभाष गर्ग व करनैल सिंह अधिवक्ता प्रतिवादी की उपस्थिति में प्रस्तुत होने पर वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि चक 10 एमकेएसए के खाता सं0 23/18 की कुल 0.253 है। भूमि के वादीगण बहिस्सा बराबर अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं। इसी अनुसार उपरोक्त वर्णित आराजी से प्रतिवादीगण सं0 1 ता 8 व गगांदेवी और विद्यादेवी का नाम कलमजन किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरांत किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश आदि न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकोर्ड में मलदरामद किया जावें। खर्चा उभयपक्ष अपना-अपना वहन करें।

आज यह पर्चा डिक्री दिनांक 7/5/26 मेरे हस्ताक्षर एवं मुद्रा से जारी की गई।




उपखण्ड (सत्यनारायण आर.ए.एस.)
पदेन सहायक कलेक्टर
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
टिब्बी जिला हनुमानगढ़